राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 561/2025

अरविंद कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला झुन्झुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर जिला परिषद, झुन्झुनूं में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिषद, झुन्झुनूं से उदयपुरवाटी में कर दिया गया। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 23 पर अंकित है। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत जिला परिषद झुन्झुनूं में कर दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 20.01.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–3)। परन्तु अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया, जो कि विधि विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुसरण में अपीलार्थी को जिला परिषद, झुन्झुनूं में कार्यग्रहण करवाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत जिला परिषद्, झुन्झुनूं में कर दिया गया, के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर जिला परिषद, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.01.2025 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिषद, झुन्झुनूं से पंचायत समिति उदयपुरवाटी में कर दिया गया। इसके पश्चात राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी को जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) झुन्झुनूं से निरस्त कर यथावत जिला परिषद् में किए जाने की अभिशंषा की गई। हमारे मत में अपीलार्थी द्वारा जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह कोई स्थानान्तरण आदेश नहीं है बल्कि राजस्थान सरकार द्वारा स्थानान्तरण किए जाने की अभिशंषा है जिस पर जिला परिषद द्वारा कोई पदस्थापन आदेश अभी तक जारी नहीं किया जाना पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों को समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते है कि प्रस्तुत अपील किसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपील के हेतुक (Cause of action) का पूर्णतः अभाव है। अतः हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण अपील बिना किसी कारण के अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, जो परिपक्व नहीं (Premature) होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य